



(13)

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़।

संख्या : 822 /शिविर निर्वा 2017

दिनांक : 04 फरवरी, 2017

समस्त रिटर्निंग आफिसर, प्रतापगढ़,

मा0 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 के अन्तर्गत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार हेतु रिटर्निंग आफिसर द्वारा दी जाने वाली अनुमति के संबंध में समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिससे आप भली-भांति अवगत हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में आप द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को नियमानुसार जारी किये जाने वाले वाहनों का परमीशन निम्नलिखित प्रारूप में विधानसभावार होंगे :-

1.	प्रत्याशी का नाम :
2.	राजनैतिक दल से सम्बद्धता/निर्दल :
3.	विधानसभा क्षेत्र का नाम :
4.	वाहन का प्रकार :
5.	वाहन का कलर :
6.	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर :
7.	वाहन के चालक का नाम व मो0 नम्बर फोटोग्राफस सहित
8.	वाहन स्वामी का नाम व मो0 नम्बर :
9.	परमिट जारी करने की तिथि :
10.	परमिट की वैधता : दिनांक से दिनांक : तक

उक्त प्रारूप पर निर्गत की जाने वाली परमीशन विधानसभावार अलग-अलग निम्न रंगों छपवाकर 100-100 प्रतियाँ संलग्न की जा रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर अलग से निर्धारित कलर में ही छपवाकर Permission निर्गत की जायेगी :-

क्र0	विधानसभा संख्या व नाम	चिन्हित रंग
1	244-रामपुरखारा	लाइट हरा
2	245-बाबागंज(ओजा0)	डार्क हरा
3	246-कुण्डा	पीला
4	247-विश्वनाथगंज	हल्का बैंगनी
5	248-प्रतापगढ़	लाल
6	249-पट्टी,	हल्का गुलाबी
7	250-रागीगंज	आसमानी

अपने स्तर से प्रत्याशियों को यह भी अवगत कराये कि निर्गत परमीशन उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वाहन पर अनिवार्य रूप से सामने की विण्ड स्क्रीन के सामने इस प्रकार चरपा किया जाय कि दूर से ही दिखाई दे। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि वाहन की कोई Permission नहीं है और नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

यहाँ यह भी संज्ञान में लाना है कि मा0 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में रिटर्निंग आफिसर द्वारा जारी की जाने वाली समस्त प्रत्याशियों के वाहनों के permits की सूची अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं प्रेक्षक को भी उपलब्ध कराये। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: यथोक्त।

(डा0 आदर्श सिंह)

जिलाधिकारी/

जिला निर्वाचन अधिकारी,

प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
2. मुख्य विकास अधिकारी/उपजिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अपर जिलाधिकारी(वि/रा/भू-रा)/संबंधित प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन, प्रतापगढ़।
4. जिला सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़।
5. सीआईओ, एनआईसी, प्रतापगढ़ को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

A.C. Singh
जिलाधिकारी/

जिला निर्वाचन अधिकारी,

प्रतापगढ़।